

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग


कमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2021

जयपुर, दिनांक 04 MAR 2021

—:परिपत्र:—


विषय:— समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण ऑन-लाईन भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.01.2021 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2020 (1 जनवरी 2021 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। अचल सम्पत्ति विवरण भरने हेतु समयावधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई जाती है एवं जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी, वे सभी अधिकारी भी इस अवधि में ऑन-लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।


(डॉ.रविन्द्र गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित ।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग ।


संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांक : 791

दिनांक : 4-3-2021

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान, जयपुर
2. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कालेज शिक्षा को अपलोड हेतु


04/03/2021
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी)